

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 143/2023-24

11

सालेहा खातुन -बनाम- नेपाली मियां

(द.प्र.सं. की धारा 144)

क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि										
30.04.2024	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द. प्र.सं. की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में आवेदक प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी, निमियांघाट के द्वारा वादगत भूमि के संदर्भ में समर्पित प्रतिवेदन एवं द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा के आलोक में वाद पंजीकृत कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। -: विवादित भूमि का विवरण :- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं.</th><th>खाता नं.</th><th>प्लॉट नं.</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>रांगामाटी</td><td>0128</td><td>19</td><td>194</td><td>02 डि.</td></tr></table> निर्गत नोटिस के आलोक में केवल प्रथम पक्ष इस न्यायालय में उपस्थित हुए कारणपृच्छा दाखिल किया गया। वादगत भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष के न्यायालय में नोटिस तामिला के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए और न ही कारणपृच्छा दाखिल किया गया। जिसके कारण न्यायालय उनके पक्ष से अवगत नहीं हो सका। वादगत भूमि के संबंध में विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के कार्यालय पत्रांक 262 दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से वादगत भूमि का स्थलीय एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा: रांगामाटी, थाना नं. 128, खाता सं० 19, प्लॉट सं० 194, रकबा: 41 डि. के मध्ये 6.83 डि० एवं 06 डि० भूमि सर्वे खतियान में रैयति खाते की भूमि है। सर्वे खतियानी गुही कलाल के नाम से दर्ज है। जाँच में पाया गया कि वर्णित प्लॉट सं. 194 में आवेदिका के पिता के हिस्से में 6.83 डि० जमीन आता है। पूर्व में इनके पिता द्वारा द्वितीय पक्ष (नेपाली मियां) को 2 डि० भूमि मौखिक रूप से दिया गया, उस समय आवेदिका के पिता को पैसे की आवश्यकता थी। परन्तु वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्लॉट में आवेदिका के पिता को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। स्थल जाँच में पाया कि पूर्व से ही उभय पक्षों के बीच रैयति खतियानी भूमि के बंटवारा को लेकर विवाद है। आवेदिका का कहना है कि इनके गोतिया द्वारा हिस्से से अधिक भूमि बिक्री कर दी गई है। पूर्व में उभय पक्षों के द्वारा ग्राम पंचायत में ही मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया परन्तु असफल रहा। चूंकि मामला रैयति खाते से संबंधित है। अतः उभय पक्ष विवाद का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चूंकि द्वितीय पक्ष द्वारा बिना बंटवारा के कार्य किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष से उक्त के संबंध में कागजात की मांग की गई, परन्तु इनके द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। प्लॉट विवादित है। इसलिए विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु उक्त भूमि पर द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। ---- विवेचना एवं आदेश ---- इस वाद को प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 में परिवर्तित कर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। परन्तु यह	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा	रांगामाटी	0128	19	194	02 डि.	
मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा								
रांगामाटी	0128	19	194	02 डि.								

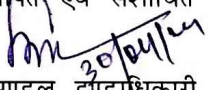
मामला उभय पक्षों के बीच पूर्वजों की भूमि का हक-हिस्सा एवं बंटवारा से संबंधित है जो कि द०प्र०सं० की धारा 145 के अधीन पोषणीय नहीं है। अतएव प्रथम पक्ष के द्वारा द०प्र०सं० की धारा 145 के तहत वाद को परिवर्तित करने हेतु समर्पित अनुरोध को इस आधार पर खारिज किया जाता है।

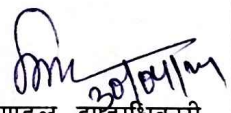
इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन एवं सलग्न दस्तावेज, कारणपृच्छा के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि रैयति किस्म की भूमि है। उभय पक्ष आपस में गोतिया है तथा एक ही वंशवृक्ष से है। प्रथम पक्ष का कथन है कि वादगत भूमि का बंटवारा आपस में नहीं हुआ है। परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजबरन उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा मौखिक रूप से प्रथम पक्ष के पिता द्वारा प्राप्त भूमि का दावा किया जा रहा है एवं अपने दावा के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से भी होती है। बिना किसी दस्तावेज के द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि पर दावा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। मूलतः यह मामला उभय पक्ष के बीच पूर्वजों की भूमि का बंटवारा से संबंधित प्रतीत होता है। जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यह मामला उभय पक्षों के बीच बंटवारा वाद/पार्टिशन सूट से संबंधित है जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है।

द.प्र.सं. की धारा 144 की उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं धाना प्रभारी, निमियांघाट तथा अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराएँ तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।